भारत सरकार

ग्रामीण विकास मंत्रालय

ग्रामीण विकास विभाग

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1202

(16 दिसम्बर, 2013 को उत्तर दिए जाने के लिए)

भारत ग्रामीण आजीविका फाउन्डेशन की स्थापना

1202. डा॰ चंदन मित्राः

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने ग्रामीण परिवारों की आजीविकाओं तथा जीवन में परिवर्तन लाने के उद्देश्य से एक भारत ग्रामीण आजीविका फाउन्डेशन की स्थापना करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके विचारार्थ विषय, लक्ष्यों एवं उद्देश्यों सहित प्रमुख विशेषताएं क्या–क्या हैं; और

(ग) सरकार द्वारा विशेष रूप से मध्य प्रदेश में जल–संभर प्रबंधन, डेयरी, मात्स्यिकी, कृषि, वानिकी, कौशल विकास इत्यादि क्षेत्रों में विकास कार्यों में कारपोरेट भारत को सम्मिलित किए जाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री प्रदीप जैन 'आदित्य')

(क): जी, हां।

(ख): बीआरएलएफ की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:

1. भारत सरकार ने सरकारी और निजी लोकोपकारी संस्थाओं, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के उपक्रमों (कॉरपोरेट सोशल जिम्मेवारी के तहत) के बीच भागीदारी करने के लिए बनाए गए स्वतंत्र संगठन के रूप में भारत ग्रामीण आजीविका फाउंडेशन (बीआरएलएफ) का गठन किया है।
2. बीआरएलफ का उद्देश्य सरकार के साथ मिलकर सिविल सोसायटी कार्यों को सरल बनाना तथा इसे आगे ले जाना है ताकि विशेष रूप से मध्य भारतीय जनजातीय क्षेत्र की महिलाओं पर विशेष ध्यान देते हुए ग्रामीण परिवारों की आजीविका और जीवन-स्तर को बेहतर बनाया जा सके।
3. बीआरएलएफ सिविल सोसायटी संगठनों को वित्तीय अनुदान मुहैया कराएगा ताकि वे अच्छी पहलों को आगे बढ़ाने के लिए किए गए संस्थागत खर्चों और मानव संसाधन संबंधी खर्चों को पूरा कर सकें, अपेक्षाकृत छोटे सिविल सोसायटी संगठनों की संस्थाओं को सुदृढ़ कर सकें और जमीनी स्तर पर कार्य करने वाले पेशेवर मानव संसाधनों की क्षमताओं को बढ़ा सकें।
4. बीआरएलएफ ऐसी परियोजनाओं को चलाने में निरंतर मदद करेगा जिन्हें सरकार के सभी स्तरों से अनुदान सहायता मिल रही है और इससे निर्धनों की आजीविका

को बढ़ाने वाली वृहत् महत्वपूर्ण केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत ग्रामीण समुदायों और निर्धन परिवारों को आसानी से सरकारी निधि उपलब्ध होगी तथा निधियों का उचित उपयोग सुनिश्चित हो पाएगा।

5. भारत सरकार ने बीआरएलएफ के लिए कॉर्पस निधि बनाने के लिए 500 करोड़ रूपए की राशि उपलब्ध कराने का वचन दिया है।

(ग): विकास संबंधी क्रिया-कलापों (मध्य प्रदेश राज्य सहित) में कॉरपोरेट इंडिया को शामिल करने के लिए सरकार ने अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित उपाय किए हैं:

1. बीआरएलएफ के शासी बोर्ड में निजी लोकोपकारी संस्थाओं, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के उपक्रमों को आमंत्रित किया गया है।
2. बीआरएलएफ के कॉर्पस में अंशदान करने के लिए लोकोपकारी संस्थाओं, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के उपक्रमों को प्रोत्साहित किया जाता है।
3. बीआरएलएफ के साथ भागीदारी करने और बीआरएलएफ द्वारा वित्तपोषित परियोजनाओं के लिए वार्षिक अनुदान मुहैया कराने या सह-वित्तपोषण सहायता उपलब्ध कराने के लिए लोकोपकारी संस्थाओं, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के उपक्रमों को प्रोत्साहित किया जाता है।

---